261

संख्या–1207/xx-1–2013–4(56)2008

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग– 1 देहरादूनः दिनांकः 17 मई, 2013।

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद–चमोली में थाना पोखरी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–डीजी–दो–146(5)/2006, दिनांक 30 मई, 2012 के कम में व शासनादेश संख्या–143/ XX(1)/100–निर्माण/आयोजनागत/2008–2009, दिनांकः 26–02–2009, जिसके द्वारा जनपद–चमोली में थाना पोखरी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 84.58 लाख की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय, जनपद–चमोली में थाना पोखरी के निर्माणाधीन आवासीय भवनों को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन की आंकलित लागत रू0 1,04,10,000.00 के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नकानुसार औचित्यपूर्ण पुनरीक्षित लागत रु0 103.30 लाख(रु0 101.53 लाख आगणन में वर्णित निर्माण कार्यों हेतु तथा रु01.77 लाख आगणन में वर्णित अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अधीन कराये जाने वाले SOR से भिन्न कार्यों हेतु)(रूपये एक करोड तीन लाख तीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इस प्रकार अवशेष रु0 18,72,000.00(रुपये अठ्ठारह लाख बहत्तर हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गोपेश्वर, जनपद–चमोली को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य में प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए उक्त कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाना तथा विभाग को हस्तांतरित कराया जाना अविलंब सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में पुनः आगणन पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

3– शासन से फरवरी, 2009 एवं जून, 2010 में पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दिए जाने के बावजूद विभाग द्वारा लम्बे समय तक कुछ धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध न कराने और इस कारण हुए विलम्ब तथा लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाय।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

8– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या—2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

10— सभी कार्यों के संपादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के साथ वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर लिया जायेगा ।

11— उक्त धनराशि का व्यय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक में अनुदान सं0—10 लेखाशीर्षक 4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, 211—पुलिस आवासं —00—आयोजनागत, 03 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य)—00— 24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0—04 (P)/वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—5/2013 दिनांकः09.05.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(जे0 पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव,

संख्या—1207 (1)/xx-1—2013—4(56)2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— जिलाधिकारी, चमोली।
6— वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
7— पुलिस अधीक्षक, जनपद—चमोली।
8— मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
9— परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि0, गोपेश्वर, चमोली।
10— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव

शासनादेश सं0–1207 (1)/xx-1–2013–4(56)2008 दिनाँक: 17 मई, 2013 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	पूर्व अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	अबतक अवमुक्त धनराशि	2013–2014 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	थाना–पोखरी, के आवासीय भवनों का निर्माण	चमोली	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	84.58	103.30	84.58	18.72
योग–				84.58	103.30	84.58	18.72

(रूपये अठ्ठारह लाख बहत्तर हजार मात्र)

(जे0 पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव,